न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/109/22

लालाराम पुत्र श्री शिवचरन, निवासी 199— राजेन्द्र नगर भरतपुर।

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलै0 (ए.डी.एम सिटी) भरतपुर

..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 19.01.2023**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट लालाराम पुत्र शिवचरन, निवासी 199 राजेन्द्र नगर भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी न्याय (ए.डी.एम सिटी) भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है। कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक 40 दिनांक 11.01.2023 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई।

लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग (ए.डी.एम सिटी) भरतपुर के पत्रांक न्याय/आरटीआई/2023/08 दिनांक 12.01.2023 से प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में जबाव प्रस्तुत किया गया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वॉछित सूचना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भरतपुर से सम्बन्धित होने के कारण तत्समय ही पत्रांक 424 दिनांक 29.11.2022 से आरटीआई 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भरतपुर को प्रेषित कर दिया गया था।

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी के जबाव से स्पष्ट होता है कि चाही गई सूचना उनसे सम्बन्धित नहीं है। चूॅकि प्रार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र को धारा 6(3) के अन्तर्गत उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भरतपुर को भेज दिये जाने से चाही गई सूचना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भरतपुर के स्तर पर लम्बित है। लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलै0 (ए.डी.एम सिटी) भरतपुर के स्तर पर लम्बित नहीं है। अपीलार्थी, उपनिदेशक, सामा0 न्याय एवं अधिकारिता विभाग भरतपुर के खिलाफ आर.टी.आई की अपील, सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश करने को स्वतंत्र हैं।

अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति संलग्न) प्रेषित हो, निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित की जावे।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर